

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 129] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 1975/ज्येष्ठ 2, 1897
No. 129] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 1975/JYAISTHA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May 1975

G.S.R. 291(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby authorises the officers, specified in column (2) of the Table below, of the State Governments specified in column (1) thereof, to exercise the powers of the said Controller under the clause or clauses of the said Order, specified in the corresponding entry in column (3), within the area of jurisdiction specified in column (4), thereof:

Name of State Government	Designation of officers	[Clauses of the order	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mithya Pradesh	1. Director, Deputy Directors and Assistant Directors of Food and Civil Supplies.	8-A, 13, 13-A and 13-B	In the whole of the State
	2. Collectors, Additional Collectors, Deputy Collectors and Sub-Divisional Officers.		In their respective jurisdiction.
	3. Food Officers and Assistant Food Officers.		
	4. Tahsildars and Naib Tahsildars.		In their respective jurisdiction.
	5. Inspectors and Assistant Inspectors, Food and Civil Supplies.		
	6. Police Officers not below the rank of Sub-Inspector.		

(1)	(2)	(3)	(4)
a. Punjab	1. Director, Joint Director, Deputy Directors and Assistant Directors of Food and Supplies. 2. District Magistrates, Additional District Food and Supplies Officers, and Assistant Food and Supplies Officers. 3. Inspectors Food and Supplies and Police Officers not below the rank of Sub-Inspector.	8-A and 13-A.	In the whole of the State In their respective jurisdiction.

[No. 2-VP(2)1/69/3005]

S. V. SAMPATH,

Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1975

सा० का० नि० 291(अ).—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट राज्य सरकारों के, स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उक्त आदेश के खण्ड या खण्डों के अधीन उक्त नियंत्रक की शक्तियों का उसके स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

राज्य सरकार का नाम	अधिकारी का पदनाम	आदेश के खण्ड	अधिकारिता का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1 मध्यप्रदेश	निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक, खाद्य और नागरिक पूर्ति	8—क, 13, 13—क और 13—ख	सम्पूर्ण राज्य में उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर
	2 कलक्टर, अपर कलक्टर, उप-कलक्टर और उप-खण्ड अधिकारी		
	3 खाद्य अधिकारी और सहायक खाद्य अधिकारी		
	4 तहसीलदार और नायब तहसीलदार		
	5 निरीक्षक और सहायक निरीक्षक, खाद्य और नागरिक पूर्ति		अपनी अपनी अधिकारिता में
	6 ऐसे पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 पंजाब	1 निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक, खाद्य और पूर्ति	8—क और 13—क	सम्पूर्ण राज्य में
	2 जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला खाद्य और पूर्ति अधिकारी और सहायक खाद्य और पूर्ति अधिकारी	}	अपनी अपनी अधिकारिता में
	3 निरीक्षक खाद्य और पूर्ति और ऐसे पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों।		

[सं० 2-बी० पी० (2) 1/69/3005]

एस० बी० सम्पथ,

भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।

